फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

भैरूलाल बनाम सरकार वगै0

कद्दमा संख्या : 212/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
14.11.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम वन सुरक्षा समिति नेवर के अध्यक्ष व सचिव है। उक्त समिति का कार्य ग्राम नेवर के वनों की सुरक्षा का कार्य करती है। चरागाह भूमि खसरा नम्बर 376 रकबा 113.8303है0 ग्राम नेवर तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित है। हाल किये गये नवीन सेटलमेट में चरागाह भूमि साबिक खसरा नम्बर 376 के नवीन खसरा नम्बर 376 बनाये गये थे। प्रार्थीगण के ग्राम नेवर में स्थित उक्त चरागाह भूमि पर वन विभाग ने नर्सरी विकसित कर रखी है। उक्त चरागाह भूमि खसरा नम्बर 376 का रकबा राजस्व नक्शें में कम कर अंकित कर दिया गया है जिस पर कुछ असामाजिक तत्व चरागाह की पूर्व सीमा तोड कर जबरन अतिकमण कर रहे है जो मौका स्थिति एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुरूप चाही है। नवीन सेटलमेट खसरा नम्बर 376 मौके पर चरागाह भूमि है तथा सेटलमेंट विभाग ने अवैध रूप से खसरा नम्बर 376 की भूमि को राजस्व नक्शें में कम कर अवैध रूप से नक्शें मे अंकन कर दिया जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि चरागाह भूमि है जिस पर वन विभाग ने पूर्वानुसार नर्सरी विकसीत कर रखी है। खसरा नम्बर 376 की दुरूस्ती कर नवीन खसरा नम्बरान की भूमि दुरूस्त नक्शा पूर्व नक्शा अनुसार कायम किया जाना आवश्यक है। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण उक्त प्रकरण में वर्णित भूमियों के खातेदार नही है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही होने से खारिज फरमाया जावें तथा प्रार्थीगण कीओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र एल0आ0 एक्ट में वर्णित प्रावधानों के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। तहसीलदार, पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट वर्णित किया है कि ग्राम नेवर का सेटलमेट नही हुआ है अर्थात सेटलमेंट ने पूर्व में जो नक्शा बनाया थो वो ही आज की स्थिति में है अर्थात नक्शा भिन्न नही है ऐसी स्थिति में नक्शा दुरूस्ती का प्रकरण चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावें। खसरा नम्बर 376 मे नर्सरी विकसित है जो चरागाह भूमि मे स्थित है तथा राजस्व नक्शा सेटलमेंट द्वारा बनाया गया है तथा यहॉ यह उल्लेखित किया जाना आवश्यक है कि ग्राम नेवर व ग्राम खेडावास नेवर दोनों एक ही गांव से दो गांव बने है तथा मूल ग्राम नेवर दर्ज रिकार्ड रहा है तथा सेटलमेंट द्वारा ग्राम नेवर का नक्शा बनाया गया है जो मौके के अनुसार सही है तथा अप्रार्थीगण उक्त प्रकरण मे आदेश 1 नियम 10 सीपीसी से पक्षकार बने है क्योकि उक्त भूमि के लगवा अप्रार्थीगण की खातेदारी स्थित है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से मौके पर सीमा तोडकर अतिकमण नही किया है प्रार्थीगण ने मिथ्या आधारों पर अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के आशय से उक्त प्रकरण पेश किया है जिसका सत्यता से कोई वास्ता नही है जिसे खारिज फरमाया जावें। लैण्ड होल्डर तहसीलदार को भू स्वामी होने से धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाकर कानूनन आवश्यक है तथा प्रार्थीगण ने छूट हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र 80(2) सीपीसी का प्रस्तुत नही किया है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि बाधित होने से खारिज है। अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात प्रार्थना पत्र, जवाब अप्रार्थीगण व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर पाया कि मुताबिक रिपोर्ट ग्राम नेवर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 376 रकबा 113.8303है0 किस्म चरागाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त चगागाह भूमि पर मौके पर नर्सरी विकसित है। खसरा नम्बर 376 के समीप खसरा नम्बर	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जमवारामगढ़

377, 378 जो ग्राम खेडावास नेवर में स्थित है। जिससे पूर्व मे आवंटित भूमि है। जिस पर खातेदार काबिज है। ग्राम नेवर का सेटलमेंट नही हुआ जिससे इसका पूर्व नक्शा खसरा नम्बर ही वर्तमान में दर्ज है। ऐसी स्थिति में मुताबिक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार दुरूस्ती किया जाना उचित नही समझते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो।

उप खण्ड अधिकारी एवं
उप खण्ड मजिस्ट्रेट
जमवारामगढ़